न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :–मुकेश बारैठआर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 56/2019

1. चुन्नीलाल पुत्र भिराज जाति कुम्हार निवासी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कृष्ण लाल पुत्र चुनीलाल जाति कुम्हार निवासीयान ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. कुलवीर पुत्र चुनीलाल जाति कुम्हार निवासीयान ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

––प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– :: आदेश ::–

दिनांक :–11.11.2019

प्राथीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण चक 16 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 10 की 24.1 0 बीघा के काश्तकार है। इस भूमि की पुख्ता आवंटन का आवेदन पत्र प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया हुआ था जिसकी अपील वर्तमान में राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के यहां लम्बित है। प्रार्थीगण का पंजीकृत पता शीर्षक आवेदन पत्र में अंकित है।यह कि प्रार्थीगण द्वारा चक 16 एम एल के मुरब्बा नम्बर 10 की 24.10 बीघा भूमि जिसके आवंटन का आवेदन पत्र है कि भूमि पूर्व में बाबा हरद्वारी नाथ ट्रस्ट एवं बाबा मुवाशी नाथ ट्रस्ट की सम्पत्ति थी इस ट्रस्ट के विरूद्ध सीलिंग का प्रकरण चला और इस सीलिंग प्रकरण में ट्रस्ट के पास 1836 बीघा 18 बिस्वा भूमि थी और इसका प्रथम बार निर्णय दिनांक 11.07.1974 को किया गया, इसमें ट्रस्ट के पास 46.08 बीघा भूमि सीलिंग सीमा की हद तक छोड़ते हुए शेष भूमि सीलिंग में अधिग्रहण कर जरिये इन्तकाल काश्तकारों के नाम अमल दरामद करने के आदेश दे दिये थे। अधिग्रहण की गई भूमि काश्तकारों की सम्पत्ति हो गई थी और जो भूमि अधिग्रहण की गई वह भूमि ट्रस्ट द्वारा विभिन्न मुजारा को सन्

पूर्ण राम भी था और भीराज के कब्जा में चक 16 एम एल के मुरब्बा नम्बर 10 की 24.10 बीघा भूमि थी, सीलिंग अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 11.07.1974 से इन काबिज मुजारों को उनके कब्जे की भूमि में 25,000/– रूपये प्रति मुरब्बा के हिसाब से राशि ट्रस्ट में जमा करवाने पर खातेदारी अधिकार भी प्रदान कर दिये थे इस आदेश के अनुसरण में प्रार्थी चुनीलाल के पिता भीराज ने व उनकी मृत्यु के बाद चुन्नीलाल ने निर्धारित राशि की अदायगी किश्तों में की जा रही थी। उक्त आदेश दिनांक 11.07.1974 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न आवेदन पत्र है। कि उक्त सीलिंग प्रकरण में जो निर्णय दिनांक 11.07.1974 को किया गया उस निर्णय को राज्य सरकार ने कृषि भूमि का अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 1 5(1) व 2 के अन्तर्गत पुनः खोल दिया और इस प्रकरण को पुनः खोलने के बाद इस सीलिंग प्रकरण संख्या 74/82 का निर्णय दिनांक 26.09.1994 को पुनः किया गया और इस निर्णय से भी ट्रस्ट की 1836.18 बीघा भूमि मानते हुए 46.08 बीघा भूमि सीलिंग सीमा तक भूमि ट्रस्ट के पास छोड़ते हुए शेष भूमि जो मुजारों के कब्जा काश्त में थी, को अधिग्रहण करने के आदेश की पुनः पुष्टि कर दी गई और मुजारों के कब्जा की भूमि मुजारों को आवंटित करने की शर्त के साथ प्रकरण का निस्तारण कर दिया था। आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न है। इस आदेश दिनांक 26.09.1994 में आवंटी चुनीलाल के पिता भीराज पुत्र पूर्ण राम के पास पूर्व की 24.1 0 बीघा भूमि होना मानते हुए आवंटन करने का आदेश दे दिया गया था । आदेश होने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा गंग कैनाल कृषि भूमि के बारे में राजस्थान उपनिवेशन आवंटन एवं विक्रय नियम में संशोधन किया जाकर दिनाक 30.03.1991 को नया प्रावधान जोड़ दिया गया था और इस नियम के अनुसार प्रार्थी चुन्नीलाल के पिता भीराज व दूसरे मुरब्बा के काश्तकार भूमि आवटन के पात्र हो गये थे। यह भूमि राज्य सरकार तभी आवंटन करने में सक्षम थी, जब अधिग्रहण की गई कुल सम्पत्ति काश्तकारों के स्वामित्व की हो गई थी और काश्तकारों के स्वामित्व की होने में तमाम मुजारे व भीराज व भीराज की मृत्यू के बाद आवेदक संख्या 1 चुनीलाल भूमि अपने नाम दर्ज करवाने के हकदार हुए थे। सीलिंग आदेश की पालना में अन्य काश्तकारों के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज की जा चुकी है। सीलिंग प्रकरण के निर्णय के उपरान्त पूर्व में जो भूमि राजस्व रिकार्ड में ट्रस्ट के नाम दर्ज चली आ रही थी, वह भूमि काश्तकारों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी थी और मलकीयती हट जाने से ट्रस्ट का नाम हटाया जाना आवश्यक था। संशोधित नियमों के अनुसार जिन–जिन काश्तकारों को भूमि पुख्ता अलॉट हो गई वह भूमि उनके नाम से आवंटन आदेश के आधार पर खातेदारी दर्ज हो गई है, परन्तु प्रार्थीगण के कब्जा की भूमि के बारे में प्रार्थीगण को भूमि आवंटन करने का आदेश के बावजूद यह भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम नहीं हुई है, परन्तु भूमि सीलिंग में अधिग्रहण होने के बाद राजस्व रिकार्ड में संशोधन न होकर भूमि आवंटी के नाम न होकर पूर्ववत ट्रस्ट बाबा हरद्वारी नाथ के नाम से चली आ रही है और ट्रस्ट के नाम का यह इन्द्राज तथ्यों के विपरीत व बिना अधिकार चले आने से राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाना आवश्यक है। बाबा हरद्वारी नाथ टस्ट का विधि विरुद्ध राजस्व रिकार्ड में नाम चले आने सट्रस्ट क गलत इन्द्राज से

उपखण्ड अधिकारी (राज.) श्रीगंगानगर (राज.)

प्रोत्साहित होकर अपीलांट की भूमि आवंटन करवाने का प्रक्रिया में ट्रस्ट हस्तक्षेप करने लग गये है और प्रार्थीगण के इस भूमि के उपयोग में भी विघन डालने लग गया है। ऐसी सूरत में इस गलत इन्द्राज से प्रार्थीगण व्यथित जाति है और गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिाकारी है। माननीय न्यायालय को भूदृप्रबन्ध अधिकार के अधिकार प्रत्यारोपित किये जा चके है। ऐसी सूरत में आवेदन पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर चक 16 एम एल के मुरब्बा नम्बर 1 0 की 24.10 बीघा भूमि की इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर बाबा हरद्वारी नाथ ट्रस्ट का नाम रिकार्ड से विलोपित किया जाकर इसके स्थान पर प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार अंकित किया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। राज पैरोकार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र का निर्णय करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण उक्त भूमि का खातेदार अथवा गैरखातेदार नहीं है। भूमि अन्य (बाबा हरिद्वारी नाथ मैमोरियत ट्रस्ट) के नाम से दर्ज है। दर्ज पृविष्टी को दुरस्त कर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने सम्बन्धी प्रार्थीगण के पास पर्याप्त आधार नहीं है जिस कारण प्रार्थीगण चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2019.11.27 17:39:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: